भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5690

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक अदालतों में मामलों का निपटान

5690. श्रीमती मालविका देवी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दीर्घकाल से लंबित मामलों के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) फास्ट ट्रैक अदालतों में विगत वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) सरकार का वंचित समुदायों के लिए न्याय को किस प्रकार कार्यान्वित करने और सुलभ बनाने का विचार है ;

(घ) देश में साइबर अपराध से संबंधित दर्ज किए जाने वाले मामलों की प्रति वर्ष औसत संख्या कितनी है, साथ ही एक वर्ष के भीतर निपटाए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) ऐसे मामलों के समाधान की रीति/साधन क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : न्यायालय के लंबित मामलों का निपटान, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यथा अधिदेशित मामलों के शीघ्र निपटान और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के प्रति अटूट वचनबद्धता रखती है। इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए अनेक पहलें की हैं। इनमें से कुछ पहलें निम्नानुसार हैं ।

I. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः अभियांत्रिकी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

II. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले। 1993-94 में न्यायपालिका के लिए

अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत से अब तक 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2025 तक 22,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 तक 19,775 हो गई है।

III. इसके अतिरिक्त ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के चरण I और II के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 99.5% न्यायालय परिसरों को वैन संयोजकता प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्षम की गई है। 31.01.2025 तक जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्र वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए कार्यात्मक बनाए गए हैं। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालयों स्थापित की गई हैं। 31.01.2025 तक इन न्यायालयों ने 6.66 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 714.99 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। मन्त्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालयों चरण-III को मंजूरी दी है। चरण-I और चरण-II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालयों चरण-III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना है। इसका उद्देश्य न्याय वितरण को सभी हितधारकों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम आसूचना (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है।

IV. सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को नियमित रूप से भरती रही है। तारीख 01.05.2014 से 20.03.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 67 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1030 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 791 अपर न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या मई, 2014 के 906 से बढ़ाकर अब तक 1122 कर दी गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है :

यथा	स्वीकृत संख्या	काम करने की ताकत
31.12.2013	19,518	15,115
28.02.2025	25,786	20,511

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है।

v. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों की स्थापना की गई है। जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया समितियां गठित की गई हैं।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि के मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। 28.02.2025 तक, देश भर में 857 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं, जिन्होंने 2024 में 11,74,885 मामलों का निपटारा किया है। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दी है। 28.02.2025 तक, देश भर के 30

राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 404 अनन्य पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससी कार्यात्मक हैं, जिन्होंने 2024 में 85,595 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोश (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिये सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015, 2019 और 2021 द्वारा समयसीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए किया गया है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है। वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 विधि स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

(ग) : सरकार सीमांत समुदायों को न्याय सुलभ कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या अन्य निशक्तताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए और विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाए। इस प्रयोजनार्थ, तालुक स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थाएं स्थापित की गई हैं। विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किए गए क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के अंतर्गत विधिक सहायता और सलाह भी है; विधिक जागरूकता कार्यक्रम; विधिक सेवाएं/सशक्तिकरण शिविर; विधिक सेवा क्लीनिक; विधिक साक्षरता क्लब; लोक अदालतों और पीड़ित मुआवजा स्कीम का कार्यान्वयन।

- वर्ष 2021 में "डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया" (दिशा) नामक एक व्यापक, अखिल भारतीय योजना 250 करोड़ रुपए के परिव्यय पर पाँच वर्षों (2021- 2026) की अवधि के लिये शुरू की गई थी। दिशा स्कीम

का लक्ष्य टेली-लॉ, न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवा) और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आसान, सुलभ, सस्ती और नागरिक केंद्रित विधिक सेवाएं प्रदान करना है। दिशा स्कीम के अधीन, टेली-लॉ नागरिकों को मोबाइल ऐप "टेलीलॉ" और मुकदमा-पूर्व सलाह प्रदान करने के लिए टोल फ्री नंबर के माध्यम से वकीलों से जोड़ता है; न्याय बंधु (निशुल्क सेवाएं) रजिस्ट्रीकृत लाभार्थियों को अदालतों में निशुल्क विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अधीन, नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों और हकदारियों को जानने, समझने और उनका लाभ उठाने का अधिकार दिया जाता है। 28 फरवरी 2025 तक, दिशा स्कीम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देश में लगभग 2.10 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच चुकी है।

- इसके अतिरिक्त, टेली-ला सेवाओं ने इसके कुल 1,08,69,661 लाभाथयों में से महिलाओं (394%), सामान्य (24%), अन्य पिछड़े वर्गों (31%), अनुसूचित जातियों (31%) और अनुसूचित जनजातियों (14%) को प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त, पहुंच बढ़ाने के लिए, टेली लॉ वेब पोर्टल और टेली-लॉ एप्लिकेशन का 22 अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद किया गया है। प्रिंट और डिजिटल मीडिया दोनों के माध्यम से इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मुकदमा-पूर्व सलाह और न्यायालयों में विधिक प्रतिनिधित्व के लिए टेली-लॉ को न्याय बंधु (निशुल्क विधिक सेवाएं) प्लेटफार्म के साथ एकीकृत करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। तत्काल विधिक सलाह और परामर्श के लिए 14454 के माध्यम से नागरिकों के लिए टोल-फ्री नंबर शुरू किया गया है।

(घ) और (ङ) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने वाषक प्रकाशन में अपराध संबंधी आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन करता है *'भारत में अपराध'* नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। पिछली तीन रिपोर्टों (2020,2021 और 2022) में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2020 से 2022 की अवधि के दौरान वार्षिक रूप से रजिस्ट्रीकृत साइबर अपराध के मामलों की औसत संख्या 56,300 है। इसी अवधि के दौरान, न्यायालयों द्वारा निपटाए जाने वाले साइबर अपराध के मामलों की औसत संख्या प्रतिवर्ष 6,081 है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन अभिकरणों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं। केंद्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र के विधि प्रवर्तन अभिकरणों के क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत परामर्शी पत्रों और वित्तीय सहायता के माध्यम से उनकी पहलों में सहायता करती है।

महिलाओं एवं बालकों के प्रति साइबर अपराधों सहित साइबर अपराधों से व्यापक एवं समन्वित रीति से निपटने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए हैं

i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक रीति से निपटने के लिए एक संलग्न कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) की स्थापना की है।

ii. 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) को आई4सी के एक भाग के रूप में शुभारंभ किया गया है, जिससे जनता को महिलाओं और बालकों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया जा सके। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उसके बाद की कार्रवाई को विधि के उपबंधों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

iii. आई4सी के अधीन 'नागरिक वित्तीय साइबर कपट रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' को वित्तीय कपट की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में शुभारंभ किया गया है। ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' शुरू किया गया है।

iv. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पुलिस के अन्वेषण अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक चरण की साइबर न्यायिक सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में आई4सी के एक भाग के रूप में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर न्यायिक प्रयोगशाला (अन्वेषण)' की स्थापना की गई है। अब तक, राष्ट्रीय साइबर न्यायिक प्रयोगशाला (अन्वेषण) ने साइबर अपराधों से संबंधित लगभग 11,835 मामलों में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के एलईए को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

v. आई4सी में एक अत्याधुनिक केंद्र, साइबर कपट शमन केंद्र (सीएफएमसी) की स्थापना की गई है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान सकलनकर्ता, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि और राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र के विधि प्रवर्तन अभिकरण के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

vi. राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की विधि प्रवर्तन अभिकरणों के बीच समन्वय ढांचे में अभिवृद्धि करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच बहु-क्षेत्राधिकार वाले साइबर अपराध हॉटस्पॉट/ क्षेत्रों के आधार पर पूरे देश को कवर करते हुए आई4सी के अधीन मेवात, जामतारा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय दलों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है । हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, लखनऊ, रांची और चंडीगढ़ में जेसीसीटी के लिए सात कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

vii. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डाटा रिपॉजिटरी और साइबर अपराध डाटा साझाकरण और विश्लेषण के लिए एलईए के लिए एक समन्वय मंच के रूप में सेवा करने के लिए समन्वय प्लेटफॉर्म को चालू किया गया है। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के विश्लेषण आधारित अंतरराज्यीय संपर्क प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' क्षेत्राधिकार अधिकारियों को दृश्यता देने के लिए मानचित्र पर अपराधियों और अपराध के बुनियादी ढांचे के स्थानों का मानचित्रण करता है। यह मॉड्यूल आई4सी और अन्य एसएमई से विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा तकनीकी-विधिक सहायता प्राप्त करने और प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इस मामले में 6,046 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 17,185 लोगों को संपर्क के लिए भेजा गया और 36,296 लोगों को साइबर अन्वेषण सहायता के लिए भेजा गया ।

viii. साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट अर्थात् X (पूर्व में ट्विटर) (@साइबरदोस्त), फेसबुक (साइबरदोस्तआई4सी), इंस्टाग्राम (साइबरदोस्तआई4सी), टेलीग्राम (साइबरदोस्तआई4सी), रेडियो अभियान, कॉलर ट्यून के माध्यम से संदेशों का प्रसार, कई माध्यमों में प्रचार के लिए MyGov से जुड़ाव, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र के सहयोग से साइबर सुरक्षा और सुरक्षा जागरूकता सप्ताह आयोजित करना, किशोरों/छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन, डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले पर समाचार पत्रों का विज्ञापन, डिजिटल गिरफ्तारी और अन्य तौर-तरीकों पर दिल्ली महानगरों में घोषणा साइबर अपराधियों की कामकाज, डिजिटल गिरफ्तारी पर विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावितों का उपयोग, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले आदि ।

****